

फरद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जोर ना सप्ली सिकराय

सरकार बनाम खीत

किस्म मुकदमा खीत मु० नं० 142/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं० अह हुक्म में ज
5-4-19	<p>पञ्जावली पेय ईई परोचर सरकार उपस्थित। परोचर सरकार जो खुना जमा परोचर सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया की प्रकरण का निस्तारण उच्चरील कार्यालय सिडराय द्वारा कर दिया गया है ऐसी रिचही में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। कतः प्राचीन का प्रथम पत्र धारा 136 खारिज किया जाता है पञ्जावली कैंसल होकर रज्जर से रुक जा।</p> <p style="text-align: right;"><u>अ 5/4/19</u> उपसप्ट अतिरिक्त सिडराय जिल्ला-कसा</p>	<p>नं० अह हुक्म में ज</p>